

प्रेस नोट

थाना – रौनापार

दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना— दिनांक 08.02.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 06.02.2024 की रात्रि में वादिनी मुकदमा के साथ अभियुक्त परमानन्द पुत्र विजयी साकिन मेघपुर महुला थाना रौनापार आजमगढ़ ने दुष्कर्म किया तथा मना करने पर गाली गलौच देते हुए मारा पीटा व जान से मारने की धमकी देकर भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 54/24 धारा 376/323/504/506 भादवि बनाम परमानन्द पुत्र विजयी साकिन मेघपुर महुला थाना रौनापार आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 10.02.2024 को थानाध्यक्ष रौनापार उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त परमानन्द पुत्र विजयी साकिन मेघपुर महुला थाना रौनापार आजमगढ़ को दाम महुला से समय करीब 09.35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 54/24 धारा 376/323/504/506 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- परमानन्द पुत्र विजयी साकिन मेघपुर महुला थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
- 2.का0 इन्द्रजीत गौड़, का0 नागेन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

चोरी गये वाहन एवं अवैध तमन्चा- कारतूस के साथ वाहन चोर गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 07.02.2024 को थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पर वादी मुकदमा कबीर अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 07/02/2024 को वादी मुकदमा आयशा सिद्दका मस्जिद में नमाज अदा करने मोटर साइकिल से गया गया था एव बाहर खडी करके नमाज पढ़ने चला गया वापस आया तो मोटर साइकिल नहीं था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 56/24 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण— दिनांक 10.02.2024 को उ0नि0 अशोक कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त आनन्द मौर्य पुत्र अशोक मौर्य निवासी ठठेरी बाजार थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष एवं अभियुक्त राकेश पुत्र योगेन्द्र प्रसाद निवासी पुराना थाना थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को ग्राम छित्तूपट्टी मन्दिर से समय करीब 11.30 बजे गिफ्तार किया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त राकेश के पास से 01 तमन्चा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त राकेश के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0- 65/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता –

1. आनन्द मौर्य पुत्र अशोक मौर्य निवासी ठठेरी बाजार थाना सरायमीर आजमगढ़
 2. राकेश पुत्र योगेन्द्र प्रसाद निवासी पुराना थाना थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ (कट्टा बरामद)
- बरामदगी का विवरण**:- मोटर साइकिल (स्पलेण्डर प्लस), 01 तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोरा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 56/2024 धारा 379/411/34 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 65/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. आनन्द मौर्य पुत्र अशोक मौर्य निवासी ठठेरी बाजार थाना सरायमीर आजमगढ़। (मुकदमा उपरोक्त)
2. राकेश पुत्र योगेन्द्र प्रसाद निवासी पुराना थाना थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

1. मु0अ0सं0- 08/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 150/21 धारा 379/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 56/2024 धारा 379/411/34 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 65/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले टीम- उ0नि0 अशोक कुमार पाण्डेय, का0 विपिन पटेल, का0 सागर सिंह, का0 आदर्श कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 17.08.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी मुकदमा की बहन को अभियुक्त विक्की पुत्र रणविजय नि0 चकलालधर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 267/2023 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡ दौरान विवेचना दिनांक 06.02.2024 को पीडिता की बरामदगी कस्बा रानी की सराय से की गयी थी।

गिरफ्तारी की विवरण- आज दिनांक 10.02.2024 को उ0नि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ विक्की पुत्र रामविजय नि0 चकलालधर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को रूदरी मोढ अण्डर पास हाइवे से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 267/23 धारा 363,366,376, भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना रानी की सराय।

गिरफ्तार अभियुक्त- अभिषेक कुमार उर्फ विक्की पुत्र रामविजय नि0 चकलालधर थाना रानी की सराय जनपद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- (1) उ0नि0 अजय प्रताप सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
- (2) का0 राजेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।